भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 58AE 451001

NOTARY S.R. Gupta (ADVOCATE) GOVT. OF U.P. INDIA

<u>*शपथ–पत्र*</u>

समक्ष :– जिलाधिकारी महोदय, आजमगढ़

1. यह कि मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मेरा नाम **रामकेश** मेरे पिता का नाम झब्बू लाल ग्राम–गड़हा, थाना–गम्भीरपुर, ब्लाक–ठेकमा, तहसील–लालगंज, जिला–आजमगढ़ का निवासी हूँ।

2. यह कि मैं बहलफ बयान करता हूँ कि ग्राम–गड़हा में शारदा सहायक खण्ड–23 बेला खास रजवाहा से कूलवा सं0–16 से किसानों के सिंचाई हेतु पक्की नाली बनायी गयी थी। **ग्राम प्रधान सविता गौतम अपने समर्थक मुशाफिर व मोहित पुत्रगण हरिश्चन्द, शनि यादव व दुधनाथ यादव पुत्रगण राजेन्दर, रामज्ञा यादव पुत्र ललसू, प्रमोद यादव पुत्र रामसमुझ यादव ये लोग नाली के ईट को उखाड़कर विक्रय कर दिया।** नाली पर प्रधान द्वारा मिट्टी पाटकर मनरेगा से रूपया 57528/– निकाल लिया गया।

3. यह कि मैं बहलफ बयान करता हूँ कि जन सुनवाई शपथ–पत्र के माध्यम से जॉच करायी गयी, **1–भूमि संरक्षण अधिकारी, उसर सुधार आजमगढ़ व 2–अवर अभियन्ता जिला पंचायत** विभाग 3– **उप राजस्व अधिकारी श्री सैय्यद जिया हसन शारदा सहायक खण्ड–23 आजमगढ़** एवं 4– **भूमि संरक्षण सिचाई एवं जल संघन विभाग आजमगढ़ 5– जिलेदार तृतीय ठेकमा शारदा सहायक खण्ड–23, आजमगढ़** द्वारा जॉच की गयी, जिसमें सभी रिपोर्ट में प्रधान दोषी पाये गये और जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया। महोदय द्वारा सहायक अभियन्ता प्रथम शारदा सहायक खण्ड–23 को एफ0आई0आर0 कराने का निर्देश दिया गया। अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड–23 प्रधान से मिली भगत कर थानाध्यक्ष गम्भीरपुर कार्यवाही हेतु दिनांक 02.06.2022 पत्राक 719 से प्रधान सविता गौतम का नाम निकाल दिये, जो भेजे गये कार्यवाही हेतु पत्रांक 719 में हीला –हवाली के नाते आज तक थानाध्यक्ष गम्भीरपुर के यहाँ लम्बित है। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

NOTARY S.R. Gupta (ADVOCATE) AREA PRO. NIZAMABAD AZAMGARH U.P. Regd. No. 44 GOVT. OF U.P. INDIA 17/8

4. यह कि मैं बहलफ बयान करता हूँ कि उपरोक्त कुल मजमून बयानहल्फी मेरे निजी जानकारी व विश्वास में सही व सच है। कुछ भी झूठ अथवा छिपाया नहीं गया है। स्थान तसदीक कलेक्ट्री कचहरी, आजमगढ़।

दिनांक :– 17/8/22

शपथी

रामकेश यादव

कार्यालय सहायक अभियन्ता प्रथम
शारदा सहायक खण्ड–23
आजमगढ़

पत्रांक 87 /स0अ0प्रथम/जनसुनवाई/ दिनांक 26-04-2022

विषय– नहर की परिसम्पत्तियो पर कब्जा/अतिकमण करने के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड–23, आजमगढ़।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में श्री रामकेश यादव पुत्र झब्बू लाल, ग्राम– गड़हा, विकास खण्ड– ठेकमा, तहसील– लालगंज, जिला– आजमगढ़ का पत्र जनसुनवाई के कम्प्युटर कमांक 40019122008281 एंव जनसुनवाई कम्प्युटर कमांक 40019122008462 प्राप्त हुआ हैं। जिसमे नहर की परिसम्पत्तियों पर कब्जा/अतिकमण करने की शिकायत की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलेदार तृतीय ठेकमा शारदा सहायक खण्ड–23, आजमगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 06.04.2022 को राजस्व कर्मचारियो के साथ मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि बेलाखास राजवाहा से कुलाबा संख्या–16 निकला है। जिससे पूर्व में कृषको द्वारा सिंचाई की जाती थी। ग्राम सभा गड़हा में नहर की निर्मित नाली को वर्तमान प्रधान द्वारा पाटकर चकरोड़ बना दिया गया है। सम्बन्धित ग्राम प्रधान के उपर भूमि संरक्षण अधिकारी आजमगढ़ द्वारा कार्यवाही की जायेगी। चूंकि नहर नाली का देख–रेख भूमि संरक्षण अधिकारी आजमगढ़ के द्वारा किया जाता है।

Vaishali

सहायक अभियन्ता प्रथम
शारदा सहायक खण्ड–23
आजमगढ़

सेवा में,

भूमि संरक्षण अधिकारी
सिचाई एवं जल संसाधन विभाग
आजमगढ़

महोदय,
श्री रामकेश यादव प्रदेश अध्यक्ष प्रयास संस्था आजमगढ़ के शिकायती पत्र के सन्दर्भ मे आपके द्वारा मौके का जाँच करने का निर्देश दिया गया था उक्त के क्रम मे मेरे द्वारा मौके पर जाकर रजवाहा बेला कु०सं० 16 का निरिक्षण किया। कु०सं० 16 पर पक्की नाली का निर्माण 35 से 40 वर्ष पूर्व किया गया प्रतीत होता है। नाली हेड से टेल तक विलुप्तता के कगार पर है। नाली की खुदाई हेड पर और संदर्भित स्थल / चक मार्ग पर दो जगह कराई गई तीनो जगह नाली का बेड/तल उसकी दोनो दिवालो पर एक-एक रद्दे ईंट की चिनाई अभी अवशेष है समस्त कार्यवाही निम्न लिखित ग्रामीणो/किसानो के समक्ष की गई
अत: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान की सेवा मे प्रेषित है।

प्रार्थी
(हस्ताक्षर) 17.05.22
अजय कुमार सिंह
भीम सिंह
भूमि संरक्षण अधिकारी
सिचाई एवं जलसंसाधन
विभाग- आजमगढ़

नाम / पिता का नाम

रामदरस S/. संतन 9839350592 रामदरस कोरि
हरिनाथ यादव S/. स्व झाबूलाल 8009958171 हरिनाथ यादव
रामानन्द S/. स्व रामसुख 7897967078 रामानन्द
रामसकल S/. रामधनी 7388073206 रामसकल
रामविलास S/. रामसकल 9919789578 Ramvilash
विनय S/. रामदरस 9839540859 Vinay kumar
ज्ञानेश्वर S/o खिलाड़ी 9140491834 ज्ञानेश्वर
संजय S/o इनरमन 8795802212 संजय (सदस्य ग्राम पचायत)
रामजीत S/o बुदुर 7388262776 Ramjit
अभिनाश S/o निर्मल 7398224055 अभिनाश
रामचन्द्र S/o बलेश्वर 8795041288 रामचन्द्र
अमितयादव S/o रामधनी 8176086811 अमित यादव
श्री त्रिभुवन मिश्रा S/o सुखदेव मिश्रा - 9026303335 (खरैला ग्राम)

बिन्दु सं0–5– ग्राम वासियों द्वारा बताया गया कि शारदा सहायक खण्ड– 23 पक्की नाली किसानों के लिए सिंचाई हेतु लगभग 30–35 वर्ष पूर्व बनाई गयी थी। दक्षिण में मोहन के चक से कतवारू के चक तक 176 मी0 लम्बाई में मिट्टी डाली गयी है। जिसमें 137 मी0 दक्षिण से उत्तर में नाली होना बताया गया। चकमार्ग पर खुदाई करने पर नाली की तली दिखाई दिया। उक्त मार्ग खतौनी में चक मार्ग अंकित है। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त मार्ग का प्राक्कलन बनाकर वर्ष–2021–22 में मनरेगा से भुगतान किया गया है।

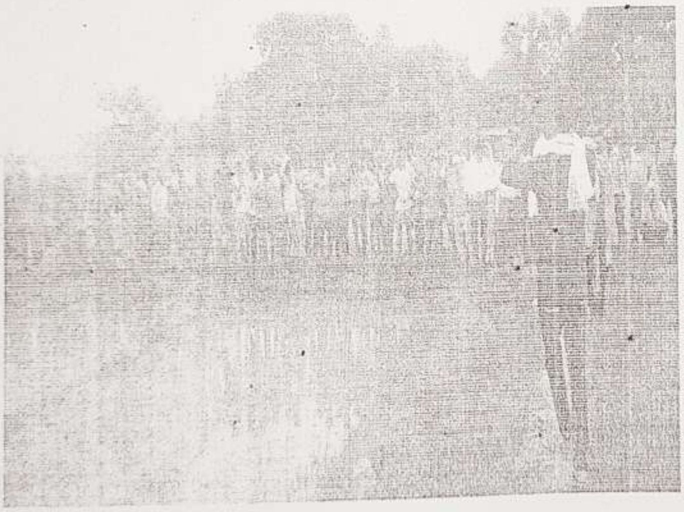

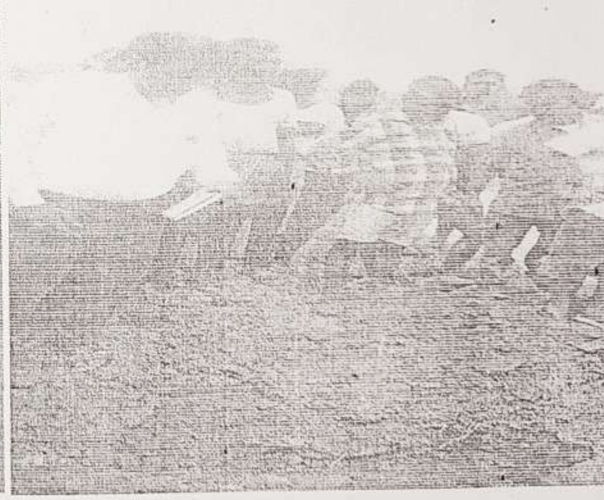

अवर अभियन्ता
जिला पंचायत आज़मगढ़

भूमि संरक्षण अधिकारी
ऊसर सुधार आजमगढ़

संलग्न–

1. ग्राम पंचायत अधिकारी एवं उपस्थित ग्रामवासियों के हस्ताक्षर सहित बयान।

पत्रांक– 295 / प्रधान जॉच / 2022–23 / दिनांक– 03.08.2022

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, आजमगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला पंचायत राज अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
4. खण्ड विकास अधिकारी, ठेकमा, आजमगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

भूमि संरक्षण अधिकारी
ऊसर सुधार आजमगढ़

रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
शारदा सहायक खण्ड–23
आजमगढ़

पत्रांकः 516 / शा0स0ख0–23 आ0 / जनसूचना / दिनांक 29/04/2022

विषयः जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अर्न्तगत सूचना के सम्बन्ध में।

श्री राकेश यादव ,पुत्र श्री झल्लू लाल,ग्राम–गड़हा, विकास खण्ड–ठेकमा, तहसील–लालगंज, जनपद–आजमगढ़

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के अर्न्तगत सूचना की वॉछना की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता प्रथम शारदा सहायक खण्ड–23 , आजमगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 06.04.2022 को राजस्व कर्मचारियों के साथ मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि बेलाखास राजवाहा से कुलावा संख्या – 16 निकला है। जिससे पूर्व में कृषकों द्वारा सिंचाई की जाती थी। ग्राम सभा गड़हा में नहर की निर्मित नाली को वर्तमान प्रधान द्वारा पाटकर चकरोड बना दिया गया है। भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय से दूरभाष पर बताया गया कि नहर की नाली का बनाकर सम्बन्धित ग्राम प्रधान को हस्तगत कर दी जाती है। उसकी देख–रेख ग्राम प्रधान के द्वारा ही होता है।

29.4.22

अधिशासी अभियन्ता
शारदा सहायक खण्ड–23
आजमगढ़

जनसूचना की रिपोर्ट

STATE: UTTAR PRADESH | District : AZAMGARH | Financial Year: 2021-2022 | Wage List No.: 3157018WL0088661

NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT

Wage List

State: UTTAR PRADESH | District : AZAMGARH | Block : THEKMA

Payment By Bank

Bank Name : State Bank of India   Branch Code : SBIN0011191   Branch Name : GOSAIN KI BAZAR

Wage List No.:-3157018WL0088661
Wage List Agency No.:-3157018WL0088661-SBIN0011191-B
Wage List Date.:-15/04/2022
Mustroll Period: 04/12/2021-17/12/2021

S.No.	Job card No.	Job seeker Name	Name As Per Bank/PostOffice	Aadhaar No.	Account No. (Smart Card No.)	Wage Slip	Work Code	Mustroll No.	Mustroll Serial No.	Total Attendance	Implements Charges	Amount of wage(Including Implements Charge)
Panchayat : TAJPUR												
1	UP-57-018-067-001/1780	MOHIT	MOHIT		13310310060	3157018WS13667-2	RAM BARAT KE CHAK SE RAM LOCHAN KE CHAK TAK CHAK BAND (3157018081/LD/958486255873727183)	13667	7	14	0	2856
											Sub Total	2856

Rupees Two Thousand Eight Hundreds Fifty Six Only

Signature of Accountant :

Signature of Panchayat Secretary/Gram Pradhan :

Payment By Bank

Bank Name : UNION BANK OF INDIA   Branch Code : UBIN0572900   Branch Name : GOMADIH

Wage List No.:-3157018WL0088661
Wage List Agency No.:-3157018WL0088661-UBIN0572900-B
Wage List Date.:-15/04/2022
Mustroll Period: 04/12/2021-17/12/2021

S.No.	Job card No.	Job seeker Name	Name As Per Bank/PostOffice	Aadhaar No.	Account No. (Smart Card No.)	Wage Slip	Work Code	Mustroll No.	Mustroll Serial No.	Total Attendance	Implements Charges	Amount of wage(Including Implements Charge)
Panchayat : TAJPUR												
1	UP-57-018-067-001/1766	ADARSH	ADARSH		072220213000027	3157018WS4409-1	GP GADHA ME MUKESH KE CHAK SE RAMDULAR KE CHAK TAK CHAK BAND (3157018081/LD/958486255823507530)	4409	4	14	0	2856
2	UP-57-018-067-001/1800	VIMLA	VIMLA		172220201000640	3157018WS4476-5	GADHA ME SAMBHU KE CHAK SE PATIRAM KE CAHK TAK CHAK BAND (3157018081/LD/958486255823507562)	4476	3	13	0	2652
3	UP-57-018-067-001/1784	RAKESH	RAKESH		188000103467755	3157018WS9258-3	MOHAN KE CHAK SE KATVARU KE CHAK TAK CHAK BAND (3157018081/LD/958486255823459684)	9258	4	7	0	1428
4	UP-57-018-067-001/1784	RAKESH	RAKESH		188000103467755	3157018WS4475-4	GADHA ME SAMBHU KE CHAK SE PATIRAM KE CAHK TAK CHAK BAND (3157018081/LD/958486255823507562)	4475	8	13	0	2652
											Sub Total	9588

Rupees Nine Thousand Five Hundreds Eighty Eight Only

Signature of Accountant :

Signature of Panchayat Secretary/Gram Pradhan :

Download In Excel

प्रमाणित प्रतिलिपि

ग्रा० पं० अधि०

मनरेगा से लिए गए भुगतान की रिपोर्ट 1

ग्रामपंचायत - गड़हा मे - 2021-2022

मोहन के चक से कतवारु के चक-चक-चक बन्धा कार्य,

क्रम	जाबकार्ड संख्या	नाम	भुगतान
(1)	1784 —	राकेश कैलाश	1428
	~~1783 —~~	~~अरदेलाल बसावन~~	~~1428~~
	~~1781 —~~	~~प्रहलाद~~	~~1428~~
(2)	1794 —	सरिता नगेन्द्र	1428
(3)	1784 -	राकेश कैलाश	408.
(4)	1785 -	रमेश रामाधार	
(5)	1772	सतीश शोभनाथ	1428
(6)	1801	शेर सुरेश	1428
			10404
(7)	1011 -	उमा श्यामु	2856
(8)	1023	चन्द्रावती हरेन्द्र	2856
(9)	1028 -	सुगन्ती लालबहादुर	2856
(10)	1033	श्यामदुलारी हीरालाल	2856
(11)	1037	पार्वती रामकिसुन	2856
(12)	1038	चम्पा चन्द्रशेखर	2856
(13)	1069	सिरपती जाह्नवी	2856
(14)	1073	शारदा मुनधारी	2856
(15)	1161	चन्द्रभान मुन्नर	2856
(16)	1174	सन्तोष तिरपुरा	2856
(17)	1188	प्रेमी दुर्जन	2856
(18)	1281	गुलाब पल्टू	2856
(19)	1313	पुष्पलता शोभनाथ	2856
(20)	1314	प्रियंका बिहारीलाल	2856
(21)	1315	मञ्जु सुनील	2856
(22)	1316	गलफानी बसावन	2856
(23)	1771	सतीश शोभनाथ	1428
(24)	1773 -	रामसुधार छोटकुमार	0
(25)	1781	प्रहलाद फुलचन्द	1428
(26)	1783	अरदेलाल बसावन	1428

2856
× 16
———
17136
2856
———
45696

1428
× 8.
———
11424

45696 — 16.
11424 — 8
408 — 2
———
57528

मनरेगा से भुगतान की रिपोर्ट 2

रजि. नं. : AZ 22521 मो० : 9936387386, 9793054800
9450994540

प्रयास संस्था

अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्यरत संगठन
कार्यालय-ग्राम व पोस्ट-मुण्डा, जाफरपुर, आजमगढ़ (उ.प्र.)

पत्रांक 1 दिनांक 25/4/22

सेवा में,

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय,
जनपद–आजमगढ़।

विषय :– ग्राम पंचायत गड़हा में सिचाई विभाग को कुलावा संख्या–16 को ग्राम प्रधान द्वारा जबरदस्ती पाटकर चकरोड बनाने पर जॉच में दोषी पाये जाने पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको सादर अवगत कराना है कि मैं रामकेश यादव पुत्र झब्बू लाल यादव ग्राम–गड़हा विकास खण्ड–ठेकमा, तहसील–लालगज, जिला–आजमगढ़ का मूल निवासी हूँ। मेरे ग्राम पंचायत में वर्तमान ग्राम प्रधान सविता गौतम व प्रधान पति मुसाफिर राम द्वारा सिचाई विभाग की नाली कुलावा सं0–16 को बिना विभाग के अनुमति से पाटकर चकरोड बना दिया है। नाली के पाटे जाने से दर्जनों किसानों की खेती बाधित हो रही है। मेरे द्वारा एक शिकायती पत्र आपके कार्यालय में उपलब्ध कराया था। शिकायती पत्र की जॉच दिनांक 06.04.2022 को अधिशासी/सहायक अभियन्ता प्रथम शारदा सहायक–23 व राजस्व कर्मियों द्वारा अभिलेखीय व स्थलीय जॉच की गयी। जॉच रिपोर्ट में पाया गया कि ग्राम प्रधान द्वारा कुलावा सं0–16 को पाटकर चकरोड बना दिये है। नाली को पाटकर चकरोड बनाने का अधिकार ग्राम प्रधान के पास निहित नहीं है। इस कार्य के दोषी ग्राम प्रधान गड़हा व उनके सहयोगी शनि यादव पुत्र राजेन्द्र व प्रमोद यादव पुत्र रामसमुझ तथा इस कार्य में सम्मिलित अन्य कर्मचारयों के खिलाफ एफ0आई0आर0 के साथ उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। ताकि समस्त किसान बन्धु व शिकायतकर्ता को न्याय मिल सके।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि इन कर्मचारियों व ग्राम प्रधान व उनके सहयोगी के खिलाफ कठोर कार्यवाही कराने की कृपा करें।

दिनांक :– भवदीय

संलग्नकः– जॉच रिपोर्ट की छायाप्रति।

रामकेश यादव

प्रदेश अध्यक्ष
9450994540 प्रयास संस्था आजमगढ़

जिलाधिकारी महोदय ने दिया f.i.r. का आदेश

प्रेषक

अधिशासी अभियन्ता
शारदा सहायक खण्ड– 23,
आजमगढ।

सेवा में,

थानाध्यक्ष गम्भीरपुर
तहसील – लालगंज,
जिला – आजमगढ़।

पत्रांक : /शा0स0ख0–23/

दिनांक 21-6- 2022

विषयः– सिंचाई विभाग की पक्की नाली को पाटकर चकरोड बनाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ– इस कार्यालय के पत्रांक 719/ शा0स0ख0–23/दिनांक 02/06/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के संबंध में अवगत कराना है कि श्री रामकेश यादव पुत्र श्री झब्बूलाल यादव ग्राम – गड़हा ने अपने शिकायतीपत्र में श्री मुसाफिर कुमार व मोहितराम पुत्रगढ़ हरीशचंद्र राम, शनि यादव व दूधनाथ यादव पुत्रगढ़ राजेंद्र यादव, रामाज्ञा यादव पुत्र ललसु यादव तथा प्रमोद यादव पुत्र रामसमुझ यादव ने सिंचाई विभाग की पक्की नाली को पाटकर चकरोड बना दिया है तथा बेलाखास राजवाहा पर लगे कुलावा नम्बर – 16 को निकाल कर गायब कर दिया है। उक्त शिकायत की जांच उपराजस्व अधिकारी श्री सैयद जिया हसन बाकर के द्वारा करायी गयी। जांच अधिकारी ने मौके पर जाकर पक्की नाली एवं कुलावे की जांच की उन्होंने अपनी जांच आख्या में उल्लिखित किया है कि इन सब लोगों ने पक्की नाली में मिट्टी डालकर उस पर चकरोड बना दिया है तथा कुलाबा नम्बर 16 को साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से गायब कर दिया है। जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि सम्बंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक– जाँच रिपोर्ट।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
शारदा सहायक खण्ड–23,
आजमगढ़

पत्रांकः 841 / शा0स0ख0–23/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. जिलाधिकारी महोदय, आजमगढ़।
2. श्री रामकेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष प्रयास संस्था आजमगढ़ को उनकी शिकायत दिनांक 25.04.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

21.6.22

अधिशासी अभियन्ता
शारदा सहायक खण्ड–23,
आजमगढ़

गंभीरपुर थाना अध्यक्ष को f.i.r. के लिए भेजे गया पत्र जिसमें मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान का नाम अधिशासी अभियंता ने निकाल दिया

IGRS - Jansunwai

	दिनांक	Complaint No.
1	29/3/2022	40019122006437
2	10/4/22	40019122008281
3	11/4/22	40019122008462
4	25/4/22	20019122005929
5	10/5/22	20019122007488
6	10/5/22	40019122012040
7	4/8/22	40019122022961
8	12/8/22	40019122023812
9	19/8/22	60000220138037
10	24/8/22	60000220144183
11	24/8/22	20019122017406

कार्यालय सहायक अभियन्ता प्रथम
शारदा सहायक खण्ड–23
आजमगढ़

पत्रांक 75 /स0अ0प्रथम/जनसुनवाई/ दिनांक 7-4-2022

विषय– सिंचाई विभाग की नाली पाटने के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड–23, आजमगढ़।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में श्री राकेश यादव, ग्राम– गड़हा, विकास खण्ड–ठेकमा, तहसील– लालगंज, जनपद– आजमगढ़ का पत्र जनसुनवाई के कम्प्युटर कमांक 40019122006437 प्राप्त हुआ हैं। जिसमे नहर की नाली पाटने की शिकायत की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलेदार तृतीय ठेकमा शारदा सहायक खण्ड–23, आजमगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 06.04.2022 को राजस्व कर्मचारियो के साथ मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया । निरीक्षण में पाया गया कि बेलाखास राजवाहा से कुलाबा संख्या–16 निकला है। जिससे पूर्व में कृषको द्वारा सिंचाइ की जाती थी। वर्तमान समय में नाली जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। जिससे कृषको को सिंचाई करने हेतु पानी ले जाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्राम सभा गड़हा में नहर की निर्मित नाली को वर्तमान प्रधान द्वारा पाटकर चकरोड़ बना दिया गया है। नाली के मरम्मत का कार्य भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कराया जाता है। आख्या सूचनार्थ प्रेषित है।

Vaishali

सहायक अभियन्ता प्रथम
शारदा सहायक खण्ड–23
आजमगढ़

कार्यालय सहायक अभियन्ता प्रथम
शारदा सहायक खण्ड–23
आजमगढ़

पत्रांक 87 /स0अ0प्रथम/जनसुनवाई/ दिनांक 26-04-2022

विषय– नहर की परिसम्पत्तियो पर कब्जा/अतिकमण करने के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड–23, आजमगढ़।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में श्री रामकेश यादव पुत्र झब्बू लाल, ग्राम– गड़हा, विकास खण्ड– ठेकमा, तहसील– लालगंज, जिला– आजमगढ़ का पत्र जनसुनवाई के कम्प्युटर कमांक 40019122008281 एंव जनसुनवाई कम्प्युटर कमांक 40019122008462 प्राप्त हुआ हैं। जिसमे नहर की परिसम्पत्तियों पर कब्जा/अतिकमण करने की शिकायत की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलेदार तृतीय ठेकमा शारदा सहायक खण्ड–23, आजमगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 06.04.2022 को राजस्व कर्मचारियो के साथ मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि बेलाखास राजवाहा से कुलाबा संख्या–16 निकला है। जिससे पूर्व में कृषको द्वारा सिंचाई की जाती थी। ग्राम सभा गड़हा में नहर की निर्मित नाली को वर्तमान प्रधान द्वारा पाटकर चकरोड़ बना दिया गया है। सम्बन्धित ग्राम प्रधान के उपर भूमि संरक्षण अधिकारी आजमगढ़ द्वारा कार्यवाही की जायेगी। चूँकि नहर नाली का देख–रेख भूमि संरक्षण अधिकारी आजमगढ़ के द्वारा किया जाता है।

Vaishali

सहायक अभियन्ता प्रथम
शारदा सहायक खण्ड–23
आजमगढ़

कार्यालय सहायक अभियन्ता प्रथम
शारदा सहायक खण्ड–23
आजमगढ़

पत्रांक 87 /स0अ0प्रथम/जनसुनवाई/ दिनांक 26-04-2022

विषय– नहर की परिसम्पत्तियो पर कब्जा/अतिकमण करने के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड–23, आजमगढ़।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में श्री रामकेश यादव पुत्र झब्बू लाल, ग्राम– गड़हा, विकास खण्ड– ठेकमा, तहसील– लालगंज, जिला– आजमगढ़ का पत्र जनसुनवाई के कम्प्युटर कमांक 40019122008281 एंव जनसुनवाई कम्प्युटर कमांक 40019122008462 प्राप्त हुआ हैं। जिसमे नहर की परिसम्पत्तियों पर कब्जा/अतिकमण करने की शिकायत की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलेदार तृतीय ठेकमा शारदा सहायक खण्ड–23, आजमगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 06.04.2022 को राजस्व कर्मचारियो के साथ मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि बेलाखास राजवाहा से कुलाबा संख्या–16 निकला है। जिससे पूर्व में कृषको द्वारा सिंचाई की जाती थी। ग्राम सभा गड़हा में नहर की निर्मित नाली को वर्तमान प्रधान द्वारा पाटकर चकरोड़ बना दिया गया है। सम्बन्धित ग्राम प्रधान के उपर भूमि संरक्षण अधिकारी आजमगढ़ द्वारा कार्यवाही की जायेगी। चूँकि नहर नाली का देख–रेख भूमि संरक्षण अधिकारी आजमगढ़ के द्वारा किया जाता है।

Vaishali

सहायक अभियन्ता प्रथम
शारदा सहायक खण्ड–23
आजमगढ़

कार्यालय सहायक अभियन्ता प्रथम
शारदा सहायक खण्ड–23
आजमगढ़

पत्रांक 97 /स0अ0प्रथम/ दिनांक 11-5-2022

विषय– ग्राम पंचायत गडहा में सिंचाई विभाग के कुलावा संख्या–16 को ग्राम प्रधान द्वारा जबरदस्ती पाटकर चकरोड़ बनाने पर जॉच में दोषी पाये जाने पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– आपका पत्रांक 499/शा0स0ख0–23/दिनांक 27.04.2022

अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड–23, आजमगढ़।

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसके कम में श्री रामकेश यादव पुत्र झब्बूलाल यादव का पत्र जनसुनवाई के कम्प्युटर क्रमांक संख्या–20019122005929 प्राप्त हुआ है। जिसमें कुलावा संख्या–16 को पाटकर चकरोड़ बना दिये जाने शिकायत की गयी हैं।

उक्त के कम में अवगत कराना है कि भूमि संरक्षण अधिकारी आजमगढ़ सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग आजमगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि कच्ची एवं पक्की नालियों का निर्माण कराने के उपरान्त ग्राम पंचायत को ~~हस्ताक्षरित~~ हस्तान्तरित कर दी जाती है। जिसका रख–रखाव एवं मरम्मत की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है।

Vaishali

सहायक अभियन्ता प्रथम
शारदा सहायक खण्ड–23
आजमगढ़

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
शारदा सहायक खण्ड–23
आजमगढ़

पत्रांक 750 / शा0स0ख0–23 / जनसुनवाई / दिनांक 8-6- 2022

विषय– नहर की परिसम्पत्तियो पर कब्जा / अतिकमण करने के सम्बन्ध में।

प्रभारी अधिकारी (जनसुनवाई प्रकोष्ठ) कलेक्ट्रेट आजमगढ़।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में श्री रामकेश यादव, ग्राम– गड़हा, पोस्ट– गड़हा, विकास खण्ड– ठेकमा, तहसील– लालगंज, जिला– आजमगढ़ का पत्र जनसुनवाई के कम्प्युटर कमांक 20019122007488 प्राप्त हुआ हैं। जिसमे नहर की परिसम्पत्तियो पर कब्जा / अतिकमण करने की शिकायत की गयी है।

उक्त के कम में अवगत कराना है कि उपराजस्व अधिकारी शारदा सहायक खण्ड–23 आजमगढ़ द्वारा जॉच करायी गयी। प्राप्त जॉच आख्या के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु थानाध्यक्ष गम्भीरपुर आजमगढ़ को पत्र भेज दिया गया है।

अधिशासी अभियन्ता
शारदा सहायक खण्ड–23
आजमगढ़

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
शारदा सहायक खण्ड–23
आजमगढ़

पत्रांक 757 / शा0स0ख0–23 / जनसुनवाई / दिनांक 8-6-2022

विषय– नहर की परिसम्पत्तियो पर कब्जा / अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में।

प्रभारी अधिकारी (जनसुनवाई प्रकोष्ठ) कलेक्ट्रेट आजमगढ़।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में श्री रामकेश यादव, ग्राम'– गड़हा, पोस्ट– गड़हा, विकास खण्ड– ठेकमा, तहसील– लालगंज, जिला– आजमगढ़ का पत्र जनसुनवाई के कम्प्युटर क्रमांक 40019122012040 प्राप्त हुआ हैं। जिसमे नहर की परिसम्पत्तियो पर कब्जा / अतिक्रमण करने की शिकायत की गयी है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि उपराजस्व अधिकारी शारदा सहायक खण्ड–23 आजमगढ़ द्वारा जॉच करायी गयी। प्राप्त जॉच आख्या के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु थानाध्यक्ष गम्भीरपुर आजमगढ़ को पत्र भेज दिया गया है।

अधिशासी अभियन्ता
शारदा सहायक खण्ड–23
आजमगढ़

8:32 0.00 KB/S 4G 34

अग्रसारित विवरण

संदर्भ का प्रकार	अंतरित
आदेश देने वाले अधिकारी	ऑनलाइन सन्दर्भ
आदेश दिनांक	04-08-2022
अधिकारी को प्रेषित	अधिशासी अभियंता, सिंचाई, जल संसाधन
आदेश	
आख्या	सम्बन्धितप्रकरण पर उपराजस्व अधिकारी जॉच करायी जा रही है।
स्थिति	निस्तारित

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
शारदा सहायक खण्ड–23,
आजमगढ़

पत्रांक: 1392 / शा0स0ख0–23 / आ0गु0 /   दिनांक 08-9- 2022

विषय :– आई0जी0आर0एस0 सं0–40019122023812 के निस्तारण के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– आपका पत्रांक 3959 / ख0 / जन0सु0 / दिनांक 29.08.2022

अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्दशम मण्डल, सिंचाई कार्य, आजमगढ़

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा श्री रामकेश यादव, ग्राम–गड़हा, ब्लाक–ठेकमा, जनपद–आजमगढ़ का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमे बेलाखास राजवाहा के कुलाबा सं0–16 को गायब करने एवं अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड–23, आजमगढ़ द्वारा हीला हवाली कर दोषियों को बचाने की शिकायत की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सम्बन्धित प्रकरण पर उपराजस्व अधिकारी, शारदा सहायक खण्ड–23, आजमगढ़ द्वारा स्थलीय जाँच की गयी तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु थानाध्यक्ष गम्भीरपुर, जनपद–आजमगढ़ को पत्र निर्गत किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है।

अधिशासी अभियन्ता
शारदा सहायक खण्ड–23,
आजमगढ़

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
शारदा सहायक खण्ड–23,
आजमगढ़।

सेवा में,

थानाध्यक्ष गम्भीरपुर
तहसली–लालगंज, आजमगढ़।

पत्रांकः 1295 / शा0स0ख0–23 / भूमि / दिनांक 26-8-2022

विषय :– सिंचाई विभाग की पक्की नाली चकरोड बनाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 719 / शा0स0ख0–23 / दिनांक 02.06.2022 एवं पत्रांक 841 / शा0स0ख0–23 / दिनांक 21.06.2022 श्री रामकेश यादव प्रदेश अध्यक्ष प्रयास संस्था, ग्राम–गडहा की शिकायती पत्र के जॉच के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आपसे अनुरोध किया गया था, लेकिन अब तक आप द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिससे रामकेश यादव, अध्यक्ष प्रयास संस्था का पत्र जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भी प्राप्त हुआ है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीय

26.8.22
अधिशासी अभियन्ता
o/c शारदा सहायक खण्ड–23,
आजमगढ़

पत्रांकः 1295 / शा0स0ख0–23 / भूमि / तदिनांक

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय, आजमगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित है।

26.8.22
अधिशासी अभियन्ता
o/c शारदा सहायक खण्ड–23,
आजमगढ़

कार्यालय सहायक अभियन्ता प्रथम
शारदा सहायक खण्ड–23
आजमगढ़

पत्रांक 245 / स0अ0प्रथम / जनसुनवाई /   दिनांक 06-09-2022

विषय– गड़हा, खरैला, कलन्दरपुर बार्डर पर लगे सिंचाई हेतु कुलावा संख्या–15 को खोदकर गायब करने के सम्बन्ध में।

अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड–23, आजमगढ़।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में श्री रामकेश यादव, पुत्र झब्बू लाल, ग्राम– गड़हा, विकास खण्ड–ठेकमा, तहसील– लालगंज, जनपद– आजमगढ़ का पत्र जनसुनवाई के कम्प्युटर क्रमांक 60000220144183 प्राप्त हुआ है जिसमें गड़हा, खरैला, कलन्दरपुर बार्डर पर लगे सिंचाई हेतु कुलावा संख्या–15 को खोदकर गायब करने शिकायत की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में श्री सुनील यादव सचिव प्रयास संस्था के शिकायत पर बेलाखास राजवाहा के कुलावा संख्या–15 को खोदकर गायब किये जाने से सम्बन्धित प्रकरण पर उभयपक्षो एवं सहायक अभियन्ता की उपस्थिति में दिनांक 07.09.2022 को दोपहर 2:30 बजे उपराजस्व अधिकारी शारदा सहायक खण्ड–23, आजमगढ़ के संयुक्त रूप से स्थलीय जॉच प्रस्तावित है।

Vaishali

सहायक अभियन्ता प्रथम
शारदा सहायक खण्ड–23
आजमगढ़